


॥ ३/२ ॥

पन्नावली फेस वकील पत्रकार उपर श्री इत्याद
खारिज किया जा चुका श्री वदनुसार ही
शान पत्र खारिज मुमाए लोक इत्याद
मि० नं० 58/19 के साथ संलग्न रहे


उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी